

प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री देव रंजन वर्मा (I.P.S.) के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द मिश्र के पर्यवेक्षण में जनपद बलरामपुर में दिनांक 06.10.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं यातायात व्यवस्था हेतु चलाये गये चेंकिंग अभियान में निम्नलिखित कार्यवाहियां की गयीं।

वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना को0उतरौला द्वारा दिनांक 06.10.2019 को अभियुक्त रईश अहमद उर्फ चिन्नू पुत्र गफ्फार नि0 पुरैना वाजिद थाना को0उतरौला जनपद बलरामपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त थाना स्थानीय पर धारा-377/506 भादवि0 का वांछित था।

वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

थाना गौरा चौराहा द्वारा दिनांक 06.10.2019 को अभियुक्त गंगा सागर पुत्र कबीर दीन नि0 राम चरनडीह थाना गौरा चौराहा जनपद बलरामपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त थाना स्थानीय पर धारा-498ए/323/504/506 भादवि0 व ¼ डीपी0 एक्ट का वारंटी था।

शांति भंग (151CrPC) की आशंका में (07) गिरफ्तार

1-थाना पचपेड़वा द्वारा दिनांक 06.10.2019 शांतिभंग की आशंका में अभियुक्तगण 1-धर्मेन्द्र नि0 नरायनपुर 2-छोटेके नि0 मकुलवा जनपद बलरामपुर को धारा 151 CrPC के अन्तर्गत गिरफ्तार कर उनका चालान अन्तर्गत धारा 151/107/116 CrPC किया गया।

2-थाना गौरा चौराहा द्वारा शांतिभंग की आशंका में अभियुक्तगण 1-नन्दलाल 2-रामअशोक 3-मुकेश नि0 गोविन्दपुर थाना गौरा चौराहा जनपद बलरामपुर को धारा 151 CrPC के अन्तर्गत गिरफ्तार कर उनका चालान अन्तर्गत धारा 151/107/116 CrPC किया गया।

3-थाना को0उतरौला द्वारा शांतिभंग की आशंका में अभियुक्त अछैवर नि0 सुकड़जोत मश0 पुरैना बुलन्द थाना को0उतरौला जनपद बलरामपुर को धारा 151 CrPC के अन्तर्गत गिरफ्तार कर उनका चालान अन्तर्गत धारा 151/107/116 CrPC किया गया।

4-थाना को0देहात द्वारा शांतिभंग की आशंका में अभियुक्त राहुल पाण्डेय नि0 सुहगीनपुरवा थाना को0देहात जनपद बलरामपुर को धारा 151 CrPC के अन्तर्गत गिरफ्तार कर उनका चालान अन्तर्गत धारा 151/107/116 CrPC किया गया।

पैदल गस्त अभियान में की गयी कार्यवाही:-

अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में चलाये जा रहे चेंकिंग अभियान में दिनांक 06.10.2019 को 131 स्थानों पर गस्त की गयी, 193 स्थानों पर चेंकिंग की गयी जिसमें चेंकिंग के दौरान 245 संदिग्ध व्यक्तियों की चेंकिंग की गयी, 9 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, 17 मनचले लड़के व शोहदों के अभिभावक को को बुलाकर चेतावनी दी गयी एवं अभियान के दौरान 75 अवैध अतिक्रमणों को हटवाया गया तथा उपरोक्त कार्यवाहियां की गयीं।